आवश्यक

पत्रांक–स0नि0–फायर ऑडिट/2020–21/ 70 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(सम्पत्ति अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक::जुलाई, 07 2020

1. **समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,**
   वाणिज्य कर, उ0प्र0।
2. **अपर निदेशक(प्रशिक्षण),**
   वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
   लखनऊ।

विषय : विभागीय कार्यालय भवनों में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा उपकरण (फायर फायटिंग) को सुदृढ़ किये जाने के संबंध में।

कृपया आप विदित ही हैं कि शासकीय भवनों में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिथिलता न की जाये, जिसके लिए समय–समय पर फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा व उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संबंधित विभागों को दिये गये हैं । शासन स्तर पर हुए निर्णय के क्रम में विभिन्न जनपदों के अग्निशमन अधिकारियों द्वारा कार्यालय भवनों का निरीक्षण किया गया, जिसमें अग्निशमन सुरक्षा प्रणाली क्रियाशील नहीं पायी गयी। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। शासन द्वारा शासकीय भवनों में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ विभाग कार्यालय भवनो में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की जांच हेतु संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0), वाणिज्य कर को निर्देशित करें कि वह स्थायी मुख्य अग्निशमन अधिकारी से भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा (फायर फायटिंग उपकरण) की जांच कराकर जांच रिपोर्ट प्राप्त कर सक्षम स्तर की राजकीय कार्यदायी संस्था से अनुरक्षण कार्य के आगणन प्रस्ताव प्राप्त कर प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित मूल रूप में 03 प्रतियों में आपके माध्यम से तथा जांच रिपोर्ट की प्रति आपके माध्यम से यथाशीघ्र मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
प्रभार एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दिनांक:उक्त।

प्रतिलिपिः–**1.** डिप्टी कमिश्नर(प्रभारी नजारत), वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मुख्यालय नाजिर को उपरोक्तानुसार समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।

2. ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय साइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

06/07/2020

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
प्रभार एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

E:\Aadarsh\2020-21\letter.docx